

प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं की समेकित चैक लिस्ट व विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय-2 में उल्लिखित है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ लगाये जाने प्रपत्रों के प्रारूप में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रपत्र के प्रारूप का मानकीकरण किया गया है।


प्रपत्र - 1

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं0- 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिलिड्याल पुत्र श्री महेशानन्द घिलिड्याल को लीज पर दी गई वन भूमि नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/84 दिनांक 03.07.1975 के तहत 30 वर्षों हेतु जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं0 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिलिड्याल पुत्र श्री महेशानन्द घिलिड्याल को कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गई थी। अतः लीज श्री हरीश चन्द्र घिलिड्याल पुत्र श्री महेशानन्द घिलिड्याल के नाम नवीनीकरण किया जाना है।

(हस्ताक्षर)

For Agro Service, Nainital

(हरीश चन्द्र घिलिड्याल)
पुत्र श्री महेशानन्द घिलिड्याल
(प्रयोक्ता एजेन्सी)